न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
17 / 2024	03 / 04 / 2024	08 / 12 / 2025

1 नीमाबाई पुत्री स्व. श्री रामनिवास पत्नी दिनेश कुमार जाति मेघवाल निवासी हरिपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० हाल निवास-वार्ड नम्बर 33 बरडा बस्ती अनन्तपुरा कोटा

वादनी

बनाम

1. जनकदुलारी पुत्री स्व. श्री रामनिवास पत्नी कमलेश जाति मेघवाल निवासी हरिपुरा हाल नीम की चौकी के पास सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर राज०
2. दोपतीबाई पुत्री स्व. श्री रामनिवास पत्नी कन्हैयालाल जाति मेघवाल निवासी हरिपुरा हाल कॉलोनी सोगरिया स्टेशन के पास कोटा जिला कोटा राज०
3. प्रेमबाई पत्नी स्व. श्री रामनिवास जाति मेघवाल निवासी हरिपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
4. परमानन्द पुत्र स्व. श्री रामनिवास जाति मेघवाल निवासी हरिपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
5. रूकमणीबाई पुत्री स्व. श्री रामनिवास पत्नी देवकीनन्दन जाति मेघवाल निवासी हरिपुरा हाल खजुरिया तहसील छीपाबडोद जिला बारा राज०
6. राधाबाई पत्नी स्व. श्री संजयकुमार जाति मेघवाल निवासी हरिपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
7. नाबालिक राम पुत्र स्व. श्री संजयकुमार संरक्षक माता राधाबाई जाति मेघवाल निवासी हरिपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
8. संतोषबाई पुत्री स्व. श्री रामनिवास पत्नी चन्द्रप्रकाश जाति मेघवाल निवासी हरिपुरा हाल निवास दीगोद तहसील छीपाबडोद जिला बारा राज०
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

प्रतिवादीगण

वादनी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री बाबूलाल बैरवा एड0।

प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री अम्बेडकर बैरवा एड0।

वाद अर्न्तगत धारा 88,89, R-T-Act

निर्णय

वादनी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादनी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 के संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि आराजी खाता संख्या नया 174 की खसरा संख्या 212 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा संख्या 253/12 रकबा 1.25 हैक्टेयर, कुल किता 2 की कुल रकबा 1.98 हैक्टेयर, भूमि जो कि वाके माल हरिपुरा पटवार हल्का लक्ष्मीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मे स्थित है। वादनी के पिता रामनिवास की मृत्यु के बाद जब फौती ईन्तकाल खुला उस समय राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो ने बिना किसी जाँच पडताल के बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के सरसरे तौर पर बिना किसी ऑथोन्टिक व्यक्ति के सत्यापन के घोर लापरवाही पूर्वक गैर कानूनी तरीके से कार्य करते हुये वादनी का नाम नीमाबाई के स्थान पर नेमाबाई दर्ज कर दिया जो कतई गलत व गैरकानूनी है, क्योंकि वादनी का वास्तविक नाम नीमाबाई था जो राजस्व कर्मचारियो की गलती के कारण दर्ज नहीं हुआ व गलत नाम नेमाबाई

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

दर्ज कर दिया जिसकी वादनी अपने नाम नीमाबाई की घोषणा डिक्री माननीय न्यायालय से प्राप्त करने के अधिकारी है। वादनी के दीगर दस्तावेजो जेसे भारतीय निर्वाचन पहचान पत्र, आधार कार्ड जनआधार कार्ड, बैंक डायरी व अन्य दस्तावेजो मे वादनी का सही नाम नीमाबाई दर्ज है। जिससे बखूबी साबित होता है। वादनी का नाम उक्त विवादित कृषि आराजी खाता संख्या नया 174 की खसरा संख्या 212 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा संख्या 253/12 रकबा 1.25 हैक्टेयर, कुल किता 2 की कुल रकबा 1.98 हैक्टेयर, भूमि मे वादनी का नाम गलत दर्ज होने के कारण विभिन्न प्रकार की परेशानीयो का सामना करना पड रहा है। जैसे कृषि ऋण लेना, के.सी.सी बनवाना, आदि इस बाबत् वादनी ने प्रतिवादी सख्या 9 से कई बार निवेदन किया नाम शुद्ध करने हेतु लेकिन प्रतिवादी क्रम 9 ने दिनांक 13.02.2025 को अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुये वादनी का नाम सही करने से साफ इंकार कर दिया इसलिये वादनी को मजबूर होकर अपना नाम दुरुस्त करवाने बाबत् माननीय न्यायालय मे वाद पत्र पेश करना लाजिम आया। वाद कारण दिनांक 13.02.2025 को प्रतिवादी क्रम 9 द्वारा वादनी का नाम दुरूस्त करने से साफ इंकार करने से उत्पन्न हुआ है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि न्यायहित कि डिक्री बहक वादी खिलाफ जात एवं जायदाद प्रतिवादीगण इस तौर पर सादर फरमाई जावें कि वाद पत्र में वर्णित कृषि आराजी खाता संख्या नया 174 की खसरा संख्या 212 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा संख्या 253/12 रकबा 1.25 हैक्टेयर, कुल किता 2 की कुल रकबा 1.98 हैक्टेयर, भूमि वाके माल ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का लक्ष्मीपुरा भू: अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र लुहावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मे वादनी का नाम दुरूस्त करते हुये नीमाबाई पुत्री रामनिवास घोषित किया जावें तद्नुसार वादनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दारामद किया जावें तथा वादनी का गलत नाम नेमाबाई राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जावें।

वादनी की ओर से वाद श्री बाबूलाल बैरवा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थीगण की ओर से श्री अम्बेडकर बैरवा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण ने जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वादनी एवं प्रतिवादीगण 1, 2, 5, 8 आपस में सगी बहीने है व प्रतिवादी कम 3 मां है व प्रतिवादी कम 4 सगा भाई है। प्रतिवादी कम 6 सगी भोजाई व प्रतिवादी कम 7 भतीजा है। जिसके संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम हरीपुरा पटवार हलका लक्ष्मीपुरा भू0अभिलेख निरी0 लुहावद तह0 पीपल्दा जिला कोटा खाता सं0 174 में ख0नं0 212 रकबा 0.73है0 बारानी प्रथम, ख0नं0 253/12 रकबा 1.25है0 बारानी प्रथम कुल किता 1.98है0 में हम प्रत्येक का संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है। जिसमें वादनी का वास्तविक नाम नीमाबाई था लेकिन वादनी व प्रतिवादी 1, 2, 5, 8, 4 केभाई बहिन व प्रतिवादी क्रम 3 मां व 6, 7 के नाम इन्तकाल खोला गया तो गलती से वादनी का नाम त्रुटिवंश नेमाबाई दर्ज कर दिया गया जो इसका सही नाम नीमाबाई किया जावे तो हम संयुक्त खातेदार प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादनी का वाद पत्र स्वीकार करके नमाबाई के स्थान पर नीमाबाई राजस्व रिकॉर्ड में अमल करने किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व बहस के तथ्यो का अवलोकन व मनन करने पर पाया कि वादनी के दीगर दस्तावेजो जेसे भारतीय निर्वाचन पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, बैंक डायरी, व अन्य दस्तावेजों में वादनी का नाम नीमाबाई दर्ज है एवं सह खातेदारान ने

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

जवाब दावा के माध्यम से नेमाबाई का नाम नीमाबाई करने की लिखित सहमति दी है।

अतः वादनी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपल्दा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम हरीपुरा पटवार हलका लक्ष्मीपुरा भू0अभिलेख निरी0 लुहावद तह0 पीपल्दा जिला कोटा खाता सं0 174 में ख0नं0 212 रकबा 0.73है0, ख0नं0 253/12 रकबा 1.25है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.98है0, में वादनी का नाम नेमाबाई पुत्री रामनिवास के स्थान पर नीमाबाई पुत्री रामनिवास राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

सहायक कलेक्टर
फास्टट्रैक, कोटा

सहायक कलेक्टर
फास्टट्रैक, कोटा (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
17/2024	03/04/2024	08/12/2025

नीमाबाई पुत्री स्व. श्री रामनिवास पत्नी दिनेश कुमार जाति मेघवाल निवासी हरिपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० हाल निवास वार्ड नम्बर 33 बरडा बस्ती अनन्तपुरा कोटा

वादनी

बनाम

1. जनकदुलारी पुत्री स्व. श्री रामनिवास पत्नी कमलेश जाति मेघवाल निवासी हरिपुरा हाल नीम की चौकी के पास सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर राज०
2. दोपतीबाई पुत्री स्व. श्री रामनिवास पत्नी कन्हैयालाल जाति मेघवाल निवासी हरिपुरा हाल कॉलोनी सोगरिया स्टेशन के पास कोटा जिला कोटा राज०
3. प्रेमबाई पत्नी स्व. श्री रामनिवास जाति मेघवाल निवासी हरिपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
4. परमानन्द पुत्र स्व. श्री रामनिवास जाति मेघवाल निवासी हरिपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
5. रूकमणीबाई पुत्री स्व. श्री रामनिवास पत्नी देवकीनन्दन जाति मेघवाल निवासी हरिपुरा हाल खजुरिया तहसील छीपाबडोद जिला बारा राज०
6. राधाबाई पत्नी स्व. श्री संजयकुमार जाति मेघवाल निवासी हरिपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
7. नाबालिक राम पुत्र स्व. श्री संजयकुमार संरक्षक माता राधाबाई जाति मेघवाल निवासी हरिपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
8. संतोषबाई पुत्री स्व. श्री रामनिवास पत्नी चन्द्रप्रकाश जाति मेघवाल निवासी हरिपुरा हाल निवास दीगोद तहसील छीपाबडोद जिला बारा राज०
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

प्रतिवादीगण

वादनी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री बाबूलाल बैरवा एड0।

प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री अम्बेडकर बैरवा एड0।

<u>वाद अर्न्तगत धारा 88,89, R-T-Act</u>

<u>निर्णय</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी बाबूलाल बैरवा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम हरीपुरा पटवार हलका लक्ष्मीपुरा भू0अभिलेख निरी0 लुहावद तह0 पीपल्दा जिला कोटा खाता सं0 174 में ख0नं0 212 रकबा 0.73है0, ख0नं0 253/12 रकबा 1.25है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.98है0, में वादनी का नाम नेमाबाई के स्थान पर नीमाबाई पुत्री रामनिवास राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है। डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 08.12. 2025 को जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्रमनामा			बाबत इजराय हुक्रमनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलेक्टर

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला इटावा (उ०प्र०)